अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 114–30/2011

अपीलार्थी – साफिया प्रवीण

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1169–1/प्रो0 दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि महिला पर्यवेक्षिका लाडली नूरजहाँ सिमरी बख्तियारपुर द्वारा दिनांक 26.8.2011 को आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 26 समस्तीपुर मुशहरी केन्द्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के कम में उक्त केन्द्र की सेविका श्रीमती साफिया प्रवीण दिनांक 21.7.2011 से लगातार केन्द्र कार्य से अनुपस्थित रहने का आरोप है।

महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्र की सेविका साफिया प्रवीण से कार्यालय ज्ञापांक 1006–1/प्रो0दिनांक 20.9.2011 से स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं सुनवाई में दिनांक 24.9.2011 को उपस्थित होने का आदेश निर्गत किया। इसके साथ ही सी0डी0पी0ओ0 सिमरी बख्तियारपुर से भी स्पष्टीकरण पूछने व सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 24.9.2011 को प्रश्नगत केन्द्र से संबंधित

मामले की सुनवाई की गई सुनवाई के कम में सेविका साफिया प्रवीण अनुपस्थित थी, सेविका की तरफ से अधिवक्ता श्री विलाश चौधरी उपस्थित हुए, किन्तु उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में जो उन्होंने उनके दमाद के माध्यम से उपलब्ध कराया गया उसमें यह अंकित किए है कि वे बीमार हैं और अपना ईलाज करवा रही है साथ ही उन पर साजिश व षडयंत्र कर एक और झुठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है, बावजूद उसके भी वे निष्ठापूर्वक केन्द्र का संचालन की है। अभी वे घर से बाहर है, (यानी मुख्यालय से बाहर है) सी0डी0पी0ओ0 सिमरी बख्तियारपुर ने भी उक्त तिथि दिनांक 24.9.2011 को उपस्थित होकर यह बताया कि कार्यालय के अनुसेवक द्वारा पत्रांक 282 एवं 283 दिनांक 22.9.2011 द्वारा पत्र तामिला हेतु साफिया प्रवीण केन्द्र समस्तीपुर मुशहरी को भेजा गया किन्तु सेविका के केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहने के कारण पत्र तामिला नहीं हो सका। साफिया प्रवीण सेविका द्वारा दिनांक 21.7.2011 से लगातार अनुपस्थित रहने की सूचना प्राप्त होते ही सत्यता की जाँच हेतु थाना प्रभारी सिमरी बख्तियारपुर से मामले में दर्ज प्राथमिकी (F.I.R.) की प्रति माँग की गई, तथा बैंक के शाखा प्रबंधक से भी शीघ्र केन्द्र के खाते के संचालन पर रोक लगाने हेतु पत्र भेजा गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने सेविका/ सी0डी0पी0ओ0 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर सेविका को चयन मुक्त कर दिया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र की सेविका साफिया प्रवीण अचानक दिनांक 21.7.2011 को बीमार पड़ गई, एवं अपना ईलाज दिनांक 21.7.2011 से लेकर 23.7.2011 तक चिकित्सक से कराई, जिसकी जानकारी सहायिका को दी गई थी, किन्तु जब वह स्वस्थ होकर घर आई तो दिनांक 25.7.2011 को गाँव की गंदी राजनीतिं में फंसा कर मेरे पति एवं मुझ पर एक अपराधिक मुकदमा सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 152/2011 दायर कर दिया गया, जिसमें मुझे अपनी गिरफ्तारी का भय होने के कारण सहायिका को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए केन्द्र को समुचित संचालन को निर्देश देते हुए घर से भागना पड़ा। इसी बीच दिनांक 26.8.2011 को महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण हुआ निरीक्षण तिथि को सहायिका उपस्थित थी 10 बच्चे भी थे, केन्द्र संचालित था, किन्तु सेविका/सहायिका उपस्थित पंजी के अवलोकनपरान्त दिनांक 21.7.2011 से दिनांक 26.8.2011 तक लगातार सेविका को अनुपस्थित बताया गया, सहायिका द्वारा भी बताया गया कि सेविका (साफिया प्रवीण) को किसी

अपराधिक कांड में फंसा दिया गया है, जिसकी वजह से केन्द्र पर वह लगभग एक महीने से नहीं आती है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि केन्द्र की सेविका साफिया प्रवीण ने अपने ईलाज बीमारी के लिए 21.7.2011 को आवेदन दी एवं बताती है कि 23.7.2011 तक ईलाज मे रही किन्तु किस चिकित्सक से ईलाज करवाई उसका चिकित्सा पूर्जा कहाँ है? छुट्टी का आवेदन कहाँ है? यह परिलक्षित करता है कि उक्त तिथि में भी वे अनाधिकृत अनुपस्थित थी, अतः यह मानना चाहिए कि सेविका दिनांक 21.7.2011 से 26.8.2011 निरीक्षण तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है, अतः इतने लम्बी अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थित के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का लिया गया निर्णय सर्वथा उचित है। ऐसे भी उन पर सिमरी थाना कांड दर्ज 152/2011 दर्ज है, जो अपराधिक मुकदमा ही है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं व निष्कर्षो के अधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि केन्द्र संख्या 26 समस्तीपुर मुशहरी केन्द्र की सेविका दिनांक 21.7.2011 से लगातार दिनांक 26.8.2011 तक (निरीक्षण तिथि को भी) अनाधिकृत रूप से केन्द्र से अनुपस्थित थी, अपने को बचाने का प्रयास करते हुए उसने बताया कि 21.7.2011 से 23.7.2011 को (दो दिनों) का अपनी बीमारी का बहाना बनाया गया किन्तु उस दो दिनो का भी किसी निवंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र वह उपलब्ध नहीं करवा सकी इसका मतलब साफ है कि वे उस तिथि को भी केन्द्र से अनुपस्थित रही होगी। सेविका का क्रियाकलाप पूरी तरह गैर जबावदेही तथा सही तथ्य (अपराधिक मामला) को छिपाना प्रतीत होता है।

अतः विभागीय मार्गदर्शिका की पत्रांक 2783 दिनांक 3.10.06 एवं पत्रांक 2723 दिनांक 23.7.08 की कंडिका –9 एवं कंडिका –11 के आलोक में दिनांक 21.7.2011 से 26.8.2011 तक बिना सूचना के केन्द्र से अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा अपराधिक मामलों में संलिप्त रहने की सूचना समय पर न देने के आरोप में निम्न न्यायालय सहरसा का निर्णय ज्ञापांक 1169–1/प्रो0 दिनांक 30.09.2011 सर्वथा उचित है, उसमें किसी प्रकार की राहत देने की आवश्यकता महसुस नहीं है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा